प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

क्रमांक : 247–स.क.(1)–2017
दिनांक : 28.02.2017

विषयः– अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एंव टपरीवास जाति के लिए चलाई जा रही डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना के स्थान पर डा0बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना आरम्भ करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

स्कीम का नाम

"डा0बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना" (हिन्दी में)

"Dr.B.R.Ambedkar Housing Nweenikaran Yojana (in English)"

उद्देश्य

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एंव टपरीवास जाति के व्यक्तियों को, जिनका मकान मुरम्मत लायक हो गया हो उनको अनुदान उपलब्ध करवाना है ।

टर्मज़ एण्ड कण्डीशन्ज

1. प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी तथा अनुसूचित जाति/विमुक्त एंव टपरीवास जाति से सम्बन्धित होना चाहिए ।
2. प्रार्थी का नाम बी.पी.एल. की सूची में होना चाहिए । जिस मकान की मुरम्मत की जानी है, वह प्रार्थी के नाम होना चाहिए तथा उसे बने हुए कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है ।
3. प्रार्थी द्वारा मुरम्मत के लिए हरियाणा के किसी भी विभाग से पहले अनुदान नहीं लिया होना चाहिए ।
4. आवेदन पत्र में प्रार्थी द्वारा आधार नम्बर अवश्य दिया जाए ।

वित्तीय विविक्षा

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के ऐसे लोगों को, जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वंय के निर्मित मकान को बनाए हुए दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मुरम्मत करने के लायक हो गया है तो उसे 25,000/–रुपये की अनुदान राशि एक बार दी जाएगी तथा यह राशि उन्ही लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आवेदन पत्र में आधार नम्बर होगें ।

1. राशि सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी की सिफारिश पर जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
2. प्रार्थी को राशि उसके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी ।
3. प्रार्थी द्वारा राशि प्रयोग करने उपरान्त प्रयोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जाएगा।

4. जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थी को राशि दी गई है यदि प्रार्थी द्वारा इस राशि का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता तो सरकार को यह राशि As arrear of land revenue के रुप में वसूल करने का अधिकार है।

अनुदान स्वीकृत करने की प्रकिया

विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र आंमत्रित किए जाएगें तथा सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की वैरीफिकेशन करने उपरान्त अपनी सिफारिश दी जाएगी । सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी अनुदान स्कीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा ।

वर्तमान में डा0बी.आर.अम्बेडकर आवास योजना का खर्च जिस शीर्ष में से किया जाता है उसी शीर्ष में से केवल इस स्कीम का नाम बदल कर खर्च वहन किया जाएगा ।

Sd/-
अधीक्षक
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

पृ. कमांक : 247–स.क.(1)–2017 दिनांक : 28.02.2017

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. महालेखाकार, (लेखा एंव हकदारी), हकदारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में ।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
5. उपनिदेशक(स्कीम), अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
6. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
7. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

Raghubir Singh
अधीक्षक
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनकी मंत्रणा अशाः कमांक 2/6/2016–5एफ.जी.–II/3294 दिनांक 20.2.2017 के संदर्भ में प्रेषित है ।

Sd/-
अधीक्षक
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

सेवा में
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशा. कमांक : 247–स.क.(1)–2017 दिनांक : 28.02.2017